UPSB010051402022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, (एस0सी0 / एस0टी0) एक्ट, सोनभद्र
पीठासीनः आबिद शमीम (HJS) (JO Code-6259)
सेशन केस संख्या—772 सन् 2022 (मु0अ0सं0—112 / 2022)

राज्य **बनाम** राजेन्द्र साहू
धारा—8 / 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना—शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र

—:आदेश पत्रकः—

29.10.2024

पत्रावली अभियुक्त राजेन्द्र साहू की ओर से प्रस्तुत जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र के साथ पेश हुई। अभियुक्त की ओर से स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह बहुत गरीब व्यक्ति है तथा मुकदमा लड़ पाने में असमर्थ है तथा इस मामले में पूर्व में जिला कारागार में निरूद्ध रहा है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र के आधार पर याचना की गयी कि उसके मुकदमें का निस्तारण जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कर दिया जावे तथा उसे रिहा कर दिया जावे।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त राजेन्द्र साहू के कब्जे से दिनांक 31.07.2022 को समय 20:30 बजे बहद स्थान दुद्धीचुआ, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र की पुलिस के द्वारा 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था जिसके आधार पर थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र में अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0—112 सन् 2022 पर धारा—8 / 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध धारा—8 / 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 21.10.2022 को आरोप विरचित किया गया है तथा अभियोजन की ओर से अब तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया गया है। अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसका बयान मुल्जिम अंकित किया गया जिसमें भी उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया है तथा कथन किया गया है कि वह अत्यन्त निर्धन व्यक्ति है और मुकदमा लड़ पाने में असमर्थ है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण वर्ष 2022 से लम्बित चल रहा है। यदि प्रकरण का विचारण किया जायेगा तो इस बात की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि विचारण लम्बे समय तक चलेगा। अतः यह उचित होगा कि अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर इस वाद का निस्तारण कर दिया जाये।

तद्नुसार अभियुक्त राजेन्द्र साहू की ओर से प्रस्तुत जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त राजेन्द्र साहू को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा—8 / 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पूर्व में लगभग तीन माह तक जिला कारागार में निरूद्ध रहा है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त की परिस्थितियों तथा अभियुक्त के कब्जे से की गयी बरामदगी एवं उसके द्वारा की गयी जुर्म

स्वीकारोक्ति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त राजेन्द्र साहू को धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अपराध में उसके द्वारा पूर्व में जिला कारागार में बितायी गयी अवधि के कारावास तथा तीन हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोति प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

दोषसिद्ध अभियुक्त **राजेन्द्र साहू** पुत्र पंचू लाल साह, निवासी ग्राम टूसाखांड़, थाना बैढ़न, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश के मु0अ0सं0–112 सन् 2022 के मामले में उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए उसे इस अपराध के लिए उसके द्वारा **पूर्व में जिला कारागार में बितायी गयी अवधि** तथा **तीन हजार रूपये** अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

प्रस्तुत प्रकरण में बरामदशुदा मादक पदाथ मियाद अपील अथवा अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार नियमानुसार विनष्ट किया जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जावे।

दिनांकः 29.10.2024

(आबिद शमीम),
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट,
सोनभद्र